कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

–:0 आदेश 0:–

क्रमांक / 889 / सां.लि. / COVID-19 / 2021 दन्तेवाड़ा दिनांक 15 / 05 / 2021

कोविड–19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / 844 / सां.लि. / COVID-19 / 2021 दिनांक 05.05.2021 के द्वारा दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 16.05.2021 रात्रि 12.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं ।

दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड–19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या चिन्ता का विषय है । आम जनता हेतु आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ–साथ श्रमिकों, निम्न आय वर्ग एवं छोटे–बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा हेतु निर्बधनों में समुचित रियायत दिया जाना भी जरूरी है । मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है, तथा मुक्त आवागमन से आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका बनी हुई है, जिससे सम्पूर्ण दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है ।

अतः दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / 844 / सां.लि. / COVID-19 / 2021 दिनांक 05.05.2021 को अधिक्रमित करते हुए मैं दीपक सोनी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ :–

1. दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 31.05.2021 रात्रि 12.00 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रहेगा।
2. दिनांक 31.05.2021 रात्रि 12.00 बजे तक दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी ।
3. **उपरोक्त अवधि में निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी :–**

   1– सभी सुपर मार्केट /सुपर बाजार, सब्जी बाजार, मॉल, शो–रूम, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हॉल, सैलून, ब्यूटी–पार्लर, स्पा, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे ।

   2– जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें एवं बार बंद रहेंगे, किन्तु ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी ।

   3– सभी पार्क, रिसॉर्ट तथा समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे ।

... 2 ...

Collector
Dakshin Bastar
DANTEWADA (C.G.)

4— दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिला अन्तर्गत सभी कार्यालय विशिष्ट आदेश को छोड़कर सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे, किन्तु 50 प्रतिशत स्टॉफ रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति–आवश्यक प्रयोजन हेतु सभी कार्यालय खोले जायेंगे । उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन/ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे । टेलीकॉम,रेवले एवं एयरपोर्ट संचालन व रख–रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशाप, रेक प्वाईट पर लोडिंग–अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामाग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी ।

5— स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे । छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी । शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी ।

6— सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास–गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड–19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववत् 10 रहेगी । इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी ।

7— सभी प्रकार की मंडियों एवं सब्जी बाजार आम जनता हेतु बंद रहेंगे, किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन/मंडियों में थोक माल/कार्गो/फल सब्जी लोडिंग/अन–लोडिंग की अनुमति रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 09.00 बजे तक रहेगी । फल एवं सब्जी थोक बाजार रात्रि 9.00 बजे से प्रातः 09.00 बजे तक ही संचालित होगा ।

8— सभी पान/सिगरेट ठेला तथा चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट–फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।

9— होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति पूर्ववत रहेगी, किन्तु ग्राहको के लिए इन–हाउस डाइनिंग तथा टेक–अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलीवरी के लिये होटल एवं रेस्टोरेंटस में होम डिलीवरी आर्डर समय रात्रि 09.00 बजे तक लिया जा सकेगा । तथा आम जनता हेतु होम डिलीवरी रात्रि 10.00 बजे तक ही की जा सकेगी । भीड़–भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी ।

4 जिले के सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों को टोकन की व्यवस्था कर खोली जाए, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके । दुकानदार द्वारा 50 से 80 के बीच प्रतिदिन के लिए टोकन जारी किया जाये एवं हितग्राहियों/लाभार्थियों को राशन वितरण किया जायेगा । खाद्य विभाग उपरोक्तानुसार खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

... 3 ...

Collector
Dakshin Bastar
DANTEWADA (C.G.)

5. सभी प्रकार की मंडियां तथा थोक दुकाने बंद रहेगी । किराना दुकानें, डेलीनीड्स, आटा चक्की, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली दूध, डेयरी और डेयरी उत्पादन की दुकानों को प्रातः 6.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी ।

6. वाहन मरम्मत/पंचर सुधार/ऑटो पार्टस/स्टेशनरी/लॉण्ड्री सर्विसेस/आटा चक्की/ऑप्टिकल शॉप/निर्माण सामाग्री विक्रय की दुकानें/रिपेयरिंग सामग्री विक्रय हेतु इलेक्ट्रीकल्स दुकानें (शो–रूम प्रतिबंधित), पेट शॉप/एक्वेरियम/कृषि से संबंधित (खाद/उर्वरक, कीटनाशक, बीज विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय, कृषि मशीनरी विक्रय एवं उससे संबंसधित स्पेयर पार्टस एवं मरम्मत) दुकाने अधिकतम अपरान्ह 03.00 बजे तक संचालित की जा सकेगी । वाहन विक्रय हेतु शो–रूम नहीं खुलेंगे किन्तु वाहन रिपेयरिंग वर्कशॉप खुल सकेंगे ।

7 फल, सब्जी प्रातः 06.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स/ठेले वालों/पिक–अप/अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी । इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा। स्थानीय ऑनलाईन शॉप तथा ई–कामर्स सेवाओं यथा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि को उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्रदान की जाती है, किन्तु शॉप/स्टोर आम जनता हेतु नही खुलेगें । उपरोक्तानुसार होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है, किन्तु ग्राहको के लिए इन–हाउस डाइनिंग तथा टेक–अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भीड़–भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी । इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड–19 जॉच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड–19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा ।

उपरोक्तानुसार होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी दुकान में/होम डिलीवरी के दौरान भीड़–भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान/ अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ–साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जावेगा। संबंधित नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रोविजन स्टोर/ किराना दुकानो से सम्पर्क हेतु उनके मोबाईल नंबर/पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेगें। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने/ठेले को जब्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जावेगी।

8 पेट्रोल पंप एवं गैस एजेन्सियों को खोले जाने की अनुमति रहेगी । गैस एजेन्सियां होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे ।

9 न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 07.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक एवं संध्या 05.30 बजे से संध्या 08.00 बजे तक ही होगी ।

10 इलेक्ट्रिशियन/प्लंबर, एसी, कूलर एवं सैनिटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं/मरम्मत के लिए दुकानें प्रातः 06.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक खोले जा सकेंगे । यह स्पष्ट किया जाता है कि एसी, पंखे, कूलर की दुकानें विक्रय के लिए नहीं खोली जा सकेगी, परन्तु होम डिलीवरी की अनुमति होगी ।

11 निजी निर्माण कार्य सायं 05.00 बजे तक तथा औद्योगिक संस्थानों, शासकीय निर्माण कार्यो को अपने समय पर संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी । इसके अतिरिक्त मनरेगा के कार्य एवं वनव विभाग के लघु/गौण वनोपज से संबंधित संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे ।

... 4 ...

Collector
Dakshin Bastar
DANTEWADA (C.G.)

12 पूर्व से ही विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं केवल रूम सर्विस के माध्यम से उपलब्ध होगी ।

13 बैंक एवं पोस्ट ऑफिस अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कोविड गाईड लाईन का पालन करते हुए सभी प्रकार के लेनदेन संचालित करने की अनुमति होगी ।

14 लोक सेवा केन्द्र एवं च्वाईस सेंटर अपरान्ह 03.00 बजे तक खोले जायेंगे किन्तु मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य होगा । उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड के साथ–साथ केन्द्र की आई.डी. निलंबित की जावेगी ।

15 उपरोक्त आदेश में अतिआवश्यक सेवाओं से जुडे छूट प्राप्त कार्यालयों के अतिरिक्त राज्य शासन के समस्त कार्यालय लॉक डाउन अवधि में बंद रहेंगे । कार्यालय प्रमुख द्वारा आवश्यकतानुसार अधिनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को कार्य पर बुलाया जा सकेगा । समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगे ।

16 आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 04, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेण्ड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

17 अपरिहार्य परिस्थितियों में दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिले से अन्यत्र आने–जाने वाले यात्रियों को ई–पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे/पोस्टल/टेलीकॉम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख–रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड–19 ड्यूटी में संलग्न अधिकारी/कर्मचारियों/चिकित्सकों/निजी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों/चिन्हांकित वालेन्टियर्श की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई–पास के रुप मान्य किया जायेगा तथा आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित एस.डी.एम. द्वारा भी पास जारी किये जायेंगे । रेल/बस/हवाई यात्रा के माध्यम से जिले में आने वाले यात्रियों का कोविड–19 जांच अनिवार्य होगा ।

18 कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेसन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेगें। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें।

19 कोविड–19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड–19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय–पत्र दिखाने पर कोविड–19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लैब अथवा आने–जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। सी.जी. टीका रजिस्ट्रेशन पश्चात् टीकाकरण हेतु संबंधित हितग्राही को पर्ची के साथ टीकाकरण केन्द्र में पहुचना आवश्यक होगा ।

20 मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेगें। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई–कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगें।

21 राज्य शासनस या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी ।

... 5 ...

Collector
Dakshin Bastar
DANTEWADA (C.G.)

22 जरूरत मंदो को राहत सामग्री पहुंचाने हेतु इच्छुक संस्थाओं/व्यक्तियों को कोरोना बचाव हेतु प्रसारित निर्देशों के तहत् एक समय में अधिकतम 04 व्यक्तियों को प्रातः 08.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्वानुमति से राहत सामग्री वितरण की अनुमति होगी ।

23 **उपरोक्त अवधि में केवल अस्पताल, क्लिनिक, दवा की दुकानें, पशु चारा से संबंधित दुकानें, पेट्रोल पंप एवं होम डिलीवरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें रविवार को बंद रहेगी ।**

24 उपरोक्त आदेश में परिस्थितियों को आकलन कर समय विस्तार एवं संशोधन किया जा सकेगा ।

25 जिले के नगरीय निकाय/ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक हाट–बाजार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी ।

उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी ।

26 टेस्टिंग पश्चात् कोविड पाजिटिव पाये जाने पर चिकित्सक के अनुमति पश्चात् ही होम आईसोलेशन की अनुमति होगी । विरोध की दशा में एवं टीकाकरण के संबंध में अफवाह फैलाने वालों के विरूद्ध सुसंगत अधिनियम एवं धाराओं के अंतर्गत कठोरतम कार्यवाही की जायेगी ।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51–60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी ।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रुप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे ।

यह आदेश दिनांक 16.05.2021 रात्रि 12.00 बजे से लागू होगा ।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

(दीपक सोनी)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा

पृ.क्र./890 /सां.लि./COVID-19/2021 दन्तेवाड़ा दिनांक 15/05/2021

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
3. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
4. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
5. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
6. कमिश्नर, बस्तर संभाग, जगदलपुर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
7. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
8. पुलिस अधीक्षक, जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दन्तेवाड़ा/बड़ेबचेली की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
11. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) दन्तेवाड़ा/किरन्दुल की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
12. सर्व विभाग /कार्यालय प्रमुख, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा ।
13. महाप्रबंधक, एन.एम.डी.सी. बचेली/ किरन्दुल
14. जिला प्रबंधक, अग्रणी बैंक, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा ।
15. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दन्तेवाड़ा ।
16. सहायक संचालक, जनसंपर्क, दन्तेवाड़ा की ओर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
17. सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
18. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
19. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद /नगर पंचायत, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
20. सर्व थाना प्रभारी, पुलिस थाना जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
21. नोडल अधिकारी, कण्ट्रोल रूम (07856-252412) जिला कार्यालय, दन्तेवाड़ा ।

(दीपक सोनी)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महासमुन्द (छ.ग.)

फोन – 07723–223305, फैक्स – 07723–223302, Email - msamund.cg@nic.in

// आदेश //

क्रमांक/520/क/एस.डब्ल्यू./2021 महासमुंद, दिनांक 15/05/2021

कोविड–19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/476/क/एस.डब्ल्यू./2021 महासमुन्द, दिनांक 05.05.2021 के माध्यम से महासमुन्द जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 17.05.2021 प्रातः 06:00 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए जिला महासमुन्द में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं।

महासमुन्द जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से कोविड–19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है किन्तु भीड़–भाड़ में वृद्धि होने पर कोविड–19 संक्रमण बढ़ने की आशंका अभी भी विद्यमान है। आम जनता हेतु आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ–साथ श्रमिकों, निम्न आय वर्ग एवं छोटे–बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा हेतु निर्बंधनों में समुचित रियायत दिया जाना भी जरुरी है। उपरोक्त परिस्थितियों में समुचित विचारोपरान्त कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने तथा सभी वर्गो के हितों की सुरक्षा हेतु युक्तियुक्त पुनरीक्षित निर्बंधन अधिरोपित करते हुये सम्पूर्ण महासमुन्द जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना व्यापक लोकहित में आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/476/क/एस.डब्ल्यू./2021 महासमुन्द, दिनांक 05.05.2021 को अधिक्रमित करते हुए मैं, डोमन सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुन्द, निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूं :–

01. **महासमुन्द जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 31.05.2021 प्रातः 06:00 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन रहेगा। उपरोक्त दर्शित अवधि में महासमुन्द जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी।**

02. **उपरोक्त समयावधि में निम्नलिखित गतिविधियॉ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी :–**

    i. सभी सुपर मार्केट/सुपर बाजार, सब्जी बाजार, मॉल, शो–रूम, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हॉल, सैलून, ब्यूटी–पार्लर, स्पा, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे।

    ii. जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें एवं बार बंद रहेंगे, किन्तु ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।

    iii. सभी पार्क, रिसॉर्ट तथा समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

    iv. महासमुन्द जिला अंतर्गत सभी कार्यालय विशिष्ट आदेश को छोड़कर सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे, किन्तु 50 प्रतिशत स्टॉफ रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति–आवश्यक प्रयोजन हेतु सभी कार्यालय खोले जायेंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन/ऑनलाईन

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुन्द (छ.ग.)

15/5/2021

सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख–रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग/अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी।

v. स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी।

vi. सभी प्रकार की सभा, जूलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास–गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड–19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववत् 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी।

vii. सभी प्रकार की मंडियां एवं सब्जी बाजार आम जनता हेतु बंद रहेंगे किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन/मंडियों में थोक माल/कार्गो/फल/सब्जी लोडिंग/अन–लोडिंग की अनुमति रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक रहेगी। **फल एवं सब्जी थोक बाजार समयावधि रात्रि 12:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक ही संचालित होगा।**

viii. सभी पान/सिगरेट ठेला तथा चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट–फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

ix. होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति पूर्ववत रहेगी, किन्तु ग्राहकों के लिए इन–हाउस डाइनिंग तथा टेक–अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक रहेगा तथा आम जनता हेतु होम डिलीवरी रात्रि 10:00 बजे तक ही की जा सकेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित ढाबों में इन–हाउस डाइनिंग प्रतिबंधित रहेगा, केवल टेक–अवे की अनुमति होगी। भीड़–भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों, रेस्टोरेंट्स, ढाबों को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी।

03. लोक सेवा केन्द्र/च्वाइस सेंटर अपरान्ह 05:00 बजे तक खोले जायेंगे किन्तु मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड के साथ–साथ केन्द्र की आई.डी. निलंबित की जावेगी।

04. कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय हेतु दुकान/गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय/मरम्मत हेतु दुकानों को अपरान्ह 05:00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। उपरोक्त कृषि सामग्री के परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी।

05. वाहन मरम्मत/पंक्चर सुधार, स्टेशनरी शॉप, लॉन्ड्री सर्विसेस, आटा–चक्की, पैकेजिंग मटेरियल व संबंधित इकाइयों के संचालन हेतु अपरान्ह 05:00 बजे तक अनुमति रहेगी। वाहन विक्रय हेतु शो–रूम नहीं खुलेंगे किन्तु वाहन रिपेयरिंग वर्कशाप खुल सकेंगे।

06. समस्त प्रकार की एकल दुकानें एवं एकल किराना/डेली नीड्स दुकानें, फल/सब्जी, अन्डा, मछली, मांस, पोल्ट्री तथा दुग्ध/दुग्ध उत्पाद संबंधी दुकानें अपरान्ह 05:00 बजे तक खोली जा सकेगी किन्तु मॉल/सुपर मार्केट/सुपर बाजार में स्थित दुकानें नहीं

13/5/2021

खुलेगी। किसी दुकान में मास्क/फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने या भीड़–भाड़ होने की दशा में अर्थदण्ड के साथ 30 दिवस हेतु दुकान नियमानुसार सील की जावेगी। संबंधित दुकानदार फल/सब्जी, अण्डा, मछली, मांस, पोल्ट्री एवं किराना सामग्री/ग्रॉसरी की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।

07. स्थापित बाजारों में स्थित दुकानें रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में सम/विषम आधार पर नंबरिंग अनुसार उनके सामान्य समय पर खुलते हुये अपरान्ह 05:00 बजे तक खोली जा सकेगी, जिससे किसी एक दिवस में संबंधित व्यापारिक संगठनों द्वारा निर्धारित क्रम अनुसार किसी बाजार में अधिकतम 50 प्रतिशत दुकानें ही खुल सकेंगी। इस हेतु नगरीय निकाय एवं पुलिस अधिकारी स्थानीय स्तर पर विचार कर उचित क्रम निर्धारित करेंगे। मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़–भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिपोरित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी।

08. निर्माण गतिविधियों संबंधित दुकानें जैसे हार्डवेयर, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, ए.सी., कूलर संबंधी स्थानीय/एकल दुकानें रविवार को छोड़कर शेष सभी दिवस में अपरान्ह 05:00 बजे तक खोली जा सकेगी।

09. ई–कॉमर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी तथा कोरियर डिलीवरी अपरान्ह 05:00 बजे तक ही की जा सकेगी।

10. थोक किराना/अनाज बाजार तथा आलू, प्याज विक्रेता अपरान्ह 05:00 बजे तक दुकान का संचालन कर सकेंगे।

11. को–मॉर्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए पोस्ट ऑफिस, बैंकों एवं बीमा कार्यालयों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टॉफ के साथ उपरोक्त अवधि के दौरान टोकन व्यवस्था तथा मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन के अधीन समस्त प्रकार के लेन–देन सहित कार्यालय संचालन की अनुमति होगी।

12. सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु–चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।

13. दुग्ध–वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 07.00 बजे तक ही होगी।

14. पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक एवं संध्या 05:00 बजे से संध्या 07:00 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।

15. औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को यथासंभव अपने कैम्पस के भीतर (Onsite) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। लोक निर्माण, जल संसाधन, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं तथा महात्मा गांधी नरेगा इत्यादि अंतर्गत श्रमिकों की आवश्यकता वाले सभी ऑन–साइट कार्यों एवं निजी निर्माण गतिविधियों के संचालन हेतु अनुमति रहेगी किन्तु श्रमिकों की सुरक्षा एवं कोविड–19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला-महासमुंद (छ.ग.)

15/5/2021

16. पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि हेतु खुल सकेंगे, किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेण्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।

17. शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रातः 10:30 बजे से सायं 05:00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़–भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।

18. **प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जावेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पम्प तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी., पैट शॉप, न्यूजपेपर, दुग्ध/फल/सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।**

19. सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड–19 जांच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड–19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा। साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

20. **प्रतिदिन संध्या 05:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा,** जिसके दौरान इस आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियां जैसे होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/कार्गो/फल/सब्जी की लोडिंग/अन–लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

21. कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।

22. उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने–जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने–जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई–पास मान्य किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में महासमुन्द जिले से अन्यत्र आने–जाने वाले यात्रियों को ई–पास के माध्यम से, पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि, प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड अथवा रेलवे/टेलीकॉम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख–रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड–19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई–डी कार्ड, ई–पास के रूप में मान्य किया जायेगा।

23. कोविड–19 टीकाकरण हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र या ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन दिखाने पर कोविड–19 टीकाकरण केन्द्र/अस्पताल/पैथालॉजी लैब अथवा आने–जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।

24. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्रायवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्रायवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी एवं अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

25. मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क–फ्रॉम–होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई–कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।

26. होम आईसोलेशन में रह रहे कोविड पॉजिटीव मरीजों को स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जावेगा। आपात स्थिति में होम आईसोलेशन कंट्रोल रूम में निम्न नंबरों पर आवश्यकतानुसार संपर्क किया जा सकता है :– 07723–222100, 07723–222101, 82693–79405

27. यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारीएवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चौंकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सिरवेज एवं कचरे का डिस्पोजल, इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में अतिआवश्यक कार्यों को छोड़कर उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

28. राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

29. अपरिहार्य स्थिति में जिला दण्डाधिकारी/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी उपरोक्त प्रतिबंध से छूट देने हेतु सक्षम होंगे।

उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51–60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार, कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

यह आदेश दिनांक 17.05.2021 प्रातः 06:00 बजे से लागू होगा।

15/5/2021

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 520 / क / एस.डब्ल्यू. / 2021 महासमुंद, दिनांक 15 / 05 / 2021

प्रतिलिपि :—

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

03. आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ।

04. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज रायपुर को सूचनार्थ।

05. पुलिस अधीक्षक, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

06. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुन्द को सूचनार्थ।

07. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं इन्सीडेंट कमान्डर, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

08. सर्व तहसीलदार / कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

09. जिला परिवहन अधिकारी, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। महासमुन्द जिला अंतर्गत आवागमन के दौरान वाहनों के संबंध में इस आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।

10. जिला खाद्य अधिकारी, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11. सहायक संचालक, जनसम्पर्क महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

13. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

14. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, महासमुन्द को आदेश की एक प्रति जिले की वेबसाईट में अपलोड किये जाने बाबत्।

15. उप पंजीयक, समस्त जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

16. समस्त कार्यालय प्रमुख, ... जिला महासमुन्द को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

17. .... समस्त आम जनता, जिला महासमुन्द द्वारा सहायक संचालक, जनसम्पर्क महासमुन्द को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

15/5/2021

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

क्रमांक/600/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू./2021 रायपुर, दिनांक 15/05/2021

कोविड–19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 538/अ.जि.द/एस.डब्ल्यू/2021 दिनांक 04.05.2021 सहपठित आदेश क्रमांक 546 दिनांक 07.05.2021 के माध्यम से रायपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 17.05.2021 प्रातः 06.00 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये जिला रायपुर में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये है।

रायपुर जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से कोविड–19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है किन्तु भीड़–भाड़ में वृद्धि होने पर कोविड–19 संक्रमण बढ़ने की आशंका अभी भी विद्यमान है। आम जनता हेतु आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ–साथ श्रमिकों, निम्न आय वर्ग एवं छोटे–बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा हेतु निर्बंधनों में समुचित रियायत दिया जाना भी जरुरी है। उपरोक्त परिस्थितियों में समुचित विचारोपरान्त कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने तथा सभी वर्गो के हितों की सुरक्षा हेतु युक्तियुक्त पुनरीक्षित निर्बधन अधिरोपित करते हुये सम्पूर्ण रायपुर जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना व्यापक लोकहित में आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः दण्ड प्रकिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 538/अ.जि.द/एस.डब्ल्यू/2021 दिनांक 04.05.2021 सहपठित आदेश क्रमांक 546 दिनांक 07.05.2021को अधिक्रमित करते हुए मैं, डॉ एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला रायपुर निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ :–

1. **रायपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 31.05.2021 प्रातः 06.00 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रहेगा। उपरोक्त दर्शित अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएँ सील रहेगी।**
2. **उपरोक्त समयावधि में निम्नलिखित गतिविधियॉ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी :–**
   i. **सभी सुपर मार्केट/सुपर बाजार, सब्जी बाजार, मॉल, शो–रुम, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हॉल, सैलून, ब्यूटी–पार्लर, स्पा, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेगे।**
   ii. जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने एवं बार बंद रहेगें किन्तु ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।

iii. सभी पार्क, रिसॉर्ट तथा समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल जैसे तेलीबांधा तालाब, बूढ़ातालाब, जंगल सफारी इत्यादि आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें।

iv. रायपुर जिला अन्तर्गत सभी कार्यालय **विशिष्ट आदेश को छोड़कर सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे किन्तु 50 प्रतिशत स्टाफ रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन हेतु सभी कार्यालय खोले जायेगें। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन/ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होगें।** टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी।

v. स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियॉ बंद रहेगी।

vi. सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववत 10 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी।

vii. सभी प्रकार की मंडियॉ एवं सब्जी बाजार जैसे शास्त्री मार्केट रायपुर इत्यादि आम जनता हेतु बंद रहेगें किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करनें हेतु गोडाउन/मंडियों में थोक माल/कार्गो/फल/सब्जी लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रहेगी। **फल एवं सब्जी थोक बाजार समयावधि रात्रि 12.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक ही संचालित होगा।**

viii. सभी पान/सिगरेंट ठेला तथा चौपाटी, चाट, समोसा गुपचुप, फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

ix. होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति पूर्ववत रहेगी किन्तु ग्राहको के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक रहेगा तथा आम जनता

हेतु होम डिलीवरी रात्रि 10.00 बजे तक ही की जा सकेगी। भीड़–भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी।

3. लोक सेवा केन्द्र/च्वाईस सेंटर अपरान्ह 05.00 बजे तक खोले जायेगें किन्तु मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड के साथ–साथ केन्द्र की आई.डी. निलंबित की जावेगी।
4. कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विकय हेतु दुकान/गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विकय/मरम्मत हेतु दुकानों को अपरान्ह 05.00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। उपरोक्त कृषि सामग्री के परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी।
5. वाहन मरम्मत/पंक्चर सुधार, स्टेशनरी शॉप, लॉन्ड्री सर्विसेस, आटा–चक्की, पैकेजिंग मटेरियल व संबंधित इकाइयों के संचालन हेतु अपरान्ह 05.00 बजे तक अनुमति रहेगी। वाहन विकय हेतु शो–रुम नही खुलेगें किन्तु वाहन रिपेयरिंग वर्कशाप खुल सकेगें।
6. समस्त प्रकार की एकल दुकानें एवं एकल किराना/डेली नीड्स दुकानें, फल/सब्जी, अन्डा, मछली, मांस, पोल्ट्री तथा दुग्ध/दुग्ध उत्पाद संबंधी दुकानें अपरान्ह 05.00 बजे तक खोली जा सकेगी किन्तु मॉल/सुपर मार्केट/सुपर बाजार में स्थित दुकाने नही खुलेगी। किसी दुकान में मास्क/फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नही होने या भीड़–भाड़ होने की दशा में अर्थदण्ड के साथ 30 दिवस हेतु दुकान नियमानुसार सील की जावेगी। संबंधित दुकानदार फल/सब्जी, अन्डा, मछली, मांस, पोल्ट्री एवं किराना सामग्री/ग्रॉसरी की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।
7. स्थापित बाजारों में स्थित दुकाने रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में सम/विषम आधार पर नंबरिंग अनुसार उनके सामान्य समय पर खुलते हुये अपरान्ह 05.00 बजे तक खोली जा सकेगी, जिससे किसी एक दिवस में संबंधित व्यापारिक संगठनों द्वारा निर्धारित कम अनुसार किसी बाजार में अधिकतम 50 प्रतिशत दुकाने ही खुल सकेंगी। इस हेतु नगरीय निकाय एवं पुलिस अधिकारी स्थानीय स्तर पर विचार कर उचित कम निर्धारित करेगें। मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़–भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी।

8. निर्माण गतिविधियों संबंधित दुकानें जैसे हार्डवेयर, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, ए.सी., कूलर संबंधी स्थानीय/एकल दुकाने रविवार को छोड़कर शेष सभी दिवस में अपरान्ह 05.00 बजे तक खोली जा सकेगी।

9. ई–कॉमर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी तथा कोरियर डिलीवरी अपरान्ह 05.00 बजे तक ही की जा सकेगी।

10. थोक किराना/अनाज बाजार तथा आलू,प्याज विक्रेता अपरान्ह 05.00 बजे तक दुकान का संचालन कर सकेगें।

11. को–मॉर्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए पोस्ट ऑफिस, बैंकों एवं बीमा कार्यालयों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ उपरोक्त अवधि के दौरान टोकन व्यवस्था तथा मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन के अधीन **समस्त** प्रकार के **लेन–देन सहित कार्यालय संचालन की अनुमति होगी।**

12. सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु–चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।

13. दुग्ध पार्लर व दुग्ध–वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 07.30 बजे तक ही होगी।

14. पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा विकय हेतु प्रातः06.00 बजे से प्रातः08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।

15. औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को यथासंभव अपने कैम्पस के भीतर (Onsite) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। लोक निर्माण, जल संसाधन, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ तथा महात्मा गांधी नरेगा इत्यादि अन्तर्गत श्रमिकों की आवश्यकता वाले सभी ऑन–साइट कार्यो एवं निजी निर्माण गतिविधियों के संचालन हेतु अनुमति रहेगी किन्तु श्रमिको की सुरक्षा एवं कोविड–19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।

16. पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि हेतु खुल सकेगें किन्तु गैस एजेंसियॉ टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।

17. शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़–भाड़ नही होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।

18. **प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जावेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी., पैट शॉप, न्यूजपेपर, दुग्ध/फल/सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।**

19. **सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण अथवा विकय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहको के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा।** होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड–19 जॉच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड–19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा। साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

20. **प्रतिदिन संध्या 05.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान इस आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियॉ जैसे होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/कार्गो/फल/सब्जी की लोडिंग/अन–लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।**

21. कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेसन, दवाई वितरण कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें।

22. उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट पर आने–जाने वाले यात्रियों को कोई–पास की आवश्यकता नही होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने–जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई–पास मान्य किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में रायपुर जिले से अन्यत्र आने–जाने वाले यात्रियों को ई–पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे/टेलीकॉम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख–रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड–19 ड्यूटी

में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई–पास के रुप मान्य किया जायेगा।

23. कोविड–19 जांच अथवा कोविड–19 टीकाकरण हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय–पत्र या ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन दिखाने पर कोविड–19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लैब आवा–गमन की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।

24. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

25. मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेगें। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई–कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगें।

26. यह आदेश कार्यालय संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण/यातायात), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौंकी पर लागू नही होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में अति आवश्यक कार्यो को छोड़कर उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

27. राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51–60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रुप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें।

यह आदेश दिनांक 17.05.2021 प्रातः 06.00 बजे से लागू होगा।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ.क्रमांक /600A/ एस. डब्ल्यू. / 2021 रायपुर, दिनांक 15/05/2021

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आपके क्षेत्र अन्तर्गत इस आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु नियमित रुप से मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
7. सर्व इंसिडेन्ट कमान्डर, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) रायपुर/आरंग/अभनपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। रायपुर जिला अन्तर्गत आवा–गमन के दौरान वाहनों के संबंध में इस आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।
11. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. खाद्य नियंत्रक, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. उप पंजीयक, समस्त, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय, जिला रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. समस्त कार्यालय प्रमुख .... जिला रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. .... समस्त आम जनता, जिला रायपुर द्वारा संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर 15/05/21
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर